अनुसूची–१४ –फारम स0 ५६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

आपूर्ति अपील सं0– 10/2014
तेज नारायण सिंह
बनाम
सरकार (मार्फत अनु0 पदा मढ़ौरा, छपरा।)

आदेश का क्रम-संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख-सहित
10.06.2015	यह अपील वाद अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा, छपरा के ज्ञापांक 38, दिनांक 27.12.13 के विरूद्ध दाखिल है। उक्त वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक 27.12.2013 को तेज नारायण सिह, जन वितरण प्रणाली विकेता, अनुज्ञप्ति सं0 37/2007 पंचायत–माधोपुर, प्रखंड मढ़ौरा की दूकान की जॉच की गई। जॉच के कम में विभिन्न अनियमितताएँ पाई गई। 1. विकेता की दुकान से संबद्ध उपभोक्ताओं द्वारा बयान दिया गया है कि बी0पी0 एल0 योजाना में 20 किलो खाद्यान्न (10 किलो गेहूँ एवं 10 किलों चावल) दिया जाता है औरा 140 रू0 की राशि वसूल किया जाता है। 2. विकेता की दुकान से संबद्ध उपभोक्ताओं द्वारा बयान दिया गया है कि अन्त्योदय योजना में 25 किलो खाद्यान्न दिया जाता है और 100 रू की राशि वसूल किया जाता है। 3. विकेता की दुकान से संबद्ध उपभोक्ताओं द्वारा बयान दिया गया है कि 2 लीटर किरासन तेल देकर 40 रू0 की वसूली की जाती है। 4. विकेता की दुकान से संबद्ध उपभोक्ताओं द्वारा बयान दिया गया है कि माह अक्टूबर का खाद्यान्न देकर माह नवम्बर 2013 का भी कूपन फाड़ लिया गया है। 5. विकेता की दुकान से संबद्ध उपभोक्ताओं द्वारा बयान दिया गया है कि माह दिसंबर 13 में भी 3 लीटर किरासन तेल के बदले 2 लीटर किरासन तेल दिया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा, के ज्ञापांक 40, दिनांक	

27.12.13 के द्वारा उक्त अनियमितताओं के लिए कारण पृच्छा किया गया। विकेता के द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया। प्राप्त जवाब को असंतोषजनक पा कर विकेता की अनुज्ञप्ति रदद् कर दी गयी, जिसके विरूद्ध विकेता के द्वारा यह अपील वाद लाया गया है।

अपीलार्थी अपने विज्ञ अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए बताया गया कि विकेता के द्वारा विभागीय दिशा निदेश के आलोक में निर्धारित दर पर निर्धारित मात्रा में कूपन प्राप्त कर ससमय अनुदानित सामग्री का वितरण उपभोक्ताओं के बीच किया जाता है। वितरण कार्य निगरानी समिति के सदस्यों के समक्ष किया जाता है। विकेता के विरूद्ध लगाये गए सभी आरोप बेबुनियाद और निराधार है। जांच की तिथि दिनांक 27.12.13 को खाद्यान्न दिवस के क्रम में दूकान खुली हुई थी, एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा खाद्यान्न एवं किरासन तेल का वितरण अपने सामने कराया गया। विकेता के द्वारा काफी समय से दुकान का संचालन किया जा रहा है लेंकिन विकेता के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। विकेता के द्वारा सामग्री की आपूति के पश्चात् कैश मैमो दिया जाता है जिसकी प्रति अपने जवाब के साथ संलग्न करके विकेता के द्वारा दी गई है। विकेता के पक्ष में ग्रामीण जनता के द्वारा एक आवेदन एवं संबंधित उपभोक्ताओं के द्वारा शपथ पत्र दिया गया है जो अभिलेख में रक्षित है। अतः अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अनुरोध किया गया कि अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को रद्द करते हुये अपीलार्थी के अपील आवेदन को स्वीकृत करने की कृपा की जाय।

विज्ञ सरकारी अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि विकेता के द्वारा विभागीय दिशा निदेश के आलोक में आचरण न करकें गंभीर अनियमितताए बरती गई है। अतः उनकी अनुज्ञप्ति को रदद् रखा जाना उचित होगा।

उभय पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलन के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा पारित प्रश्नगत् आदेश (38, दिनांक 20.06.2014) एक मुखर आदेश नहीं है। विकेता से प्राप्त कागजात की जांच के क्रम में यदि कोई अनियमितता पाई गई तो यह आवश्यक था कि विकेता से पूरक कारण पृच्छा किया जाता एवं विकेता से प्राप्त जवाब के आलोक में आवश्यक कार्रवाई की जाती, लेकिन अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा ऐसा नहीं किया गया। अतः अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को निरस्त करते हुए इस निदेश के साथ अभिलेख को REMAND किया जाता है कि विकेता से सभी प्रासंगिक बिन्दुओं पर पुनः कारण पृच्छा करते हुए जवाब

प्राप्त किया जाए, उन्हे सुनवाई का एक मौका दिया जाए, एवं अभिलेख प्राप्ति के चार सप्ताह के अंदर एक विधिसम्मत मुखर आदेश पारित किया जाए।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं सशोधित

10/6/15

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

10/06/15

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 405 /न्या0, दिनांक 10/6/15

प्रतिलिपिः- अनुमंडल पदाधिकारी,मढौरा को अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- विद्वान विशेष लोक अभियोजक,7 ई0सी0,सारण,छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रातेलिपिः जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी एन0 आई0 सी0, सारण,छपरा को उक्त आदेश इस जिले के वेब साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

वरीय उप समाहर्ता
जिला विधि शाखा
सारण,छपरा।
10/6/15